संख्या: 12/2026/1707/छप्पन-2025-41/03टी0सी0

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2026

विषयः नए क्रय किए जा रहे AW139 हेलीकॉप्टर के एक वर्षीय अनुरक्षण तथा पायलटों के उड़ान प्रशिक्षण की सेवाओं हेतु निर्माता कम्पनी की अधिकृत फर्म मेसर्स ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लि0 के साथ अनुबन्ध निष्पादित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन उ0प्र0 लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ के पत्र संख्या-3126/ना0उ0नि0उ0प्र0-2025-कैमो-ए-3/2025 दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नए क्रय किए जा रहे AW139 हेलीकॉप्टर के एक वर्षीय अनुरक्षण तथा पायलटों के उड़ान प्रशिक्षण की सेवाओं हेतु निर्माता कम्पनी की अधिकृत फर्म मेसर्स ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लि0 के साथ अनुबन्ध निष्पादित करने की अनुमति प्रदान करने तथा "Pilot Loaning & Utilization Services Support Agreement" (3 माह/90 दिन की सेवाओं के लिए है) हेतु रू0 1,64,03,390/- + 18% GST रू0 29,52,610/- कुल रू0 1,93,56,000/- (रूपए एक करोड़ तिरान्नबे लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण व भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नए क्रय किए जा रहे AW139 हेलीकॉप्टर के एक वर्षीय अनुरक्षण तथा पायलटों के उड़ान प्रशिक्षण की सेवाओं हेतु निर्माता कम्पनी की अधिकृत फर्म मेसर्स ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लि0 के साथ अनुबन्ध निष्पादित करने की अनुमति प्रदान करने तथा "Pilot Loaning & Utilization Services Support Agreement" (3 माह/90 दिन की सेवाओं के लिए है) हेतु रू0 1,64,03,390/- + 18% GST रू0 29,52,610/- कुल रू0 1,93,56,000/- (रूपए एक करोड़ तिरान्नबे लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण व भुगतान की स्वीकृति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर यदि किसी विभागीय बचत बैंक खाते में जमा /रखा जायेगा, तो उक्त धनराशि से अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या E-7-145-X-2025-26-दिनांक:16-01-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0: 12/2026/1707(1) छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई0एस0 111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in